न्यायालय सत्र न्यायाधीश (शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग), जिला–चमोली।

उपस्थित : बिन्ध्याचल सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

फौजदारी अपील संख्या–23/2026

(CNR No. UKCL010001822026)

निर्णय की तिथि : 22.08.2026

अन्तर्गत धारा–29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

अपीलार्थीगण	1. मोहन सिंह उम्र–35 वर्ष पुत्र श्री कुन्दन सिंह, 2. कुन्दन सिंह उम्र–68 वर्ष पुत्र श्री भागचन्द्र सिंह, 3. देवकी देवी उम्र–65 वर्ष पत्नी श्री कुन्दन सिंह, 4. पूरन सिंह उम्र–43 वर्ष पुत्र श्री कुन्दन सिंह, 5. सुमन देवी उम्र–38 वर्ष पत्नी श्री पूरन सिंह, निवासी ग्राम–लौसरी, रा0उ0नि0 क्षेत्र–जैनबिष्ट, थाना व तहसील–थराली, जिला–चमोली, उत्तराखण्ड।
बनाम	
प्रत्युत्तरदातागण	1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जिलाधिकारी, चमोली। 2. हेमा देवी पत्नी श्री मोहन सिंह, निवासी ग्राम–लौसरी, रा0उ0नि0 क्षेत्र–जैनबिष्ट, थाना व तहसील–थराली, जिला–चमोली, उत्तराखण्ड। हाल निवास मायके ग्राम–देवसारी, रा0उ0नि0 क्षेत्र–ग्वालदम, तहसील–थराली, जिला–चमोली, उत्तराखण्ड।
अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री डी0सी0 नैनवाल।
प्रत्युत्तदाता संख्या–1 की ओर से	विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री प्रकाश भण्डारी।
प्रत्युत्तरदाता संख्या–2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री डी0सी0 भट्ट।

अपीलीय न्यायालय में अपील संस्थित किए जाने की दिनांक	04.08.2026
बहस की दिनांक	19.08.2026
निर्णय की दिनांक	22.08.2026

सत्र न्यायाधीश
(शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग),
जिला–चमोली।

निर्णय

दिनांक : 22.08.2026

अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान फौजदारी अपील, विद्वान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (जू0डि0), थराली, जिला–चमोली द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–58 / 2023, हेमा बनाम मोहन सिंह आदि, अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में पारित आक्षेपित निर्णयादेश दिनांकित 07.07.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी / प्रत्युत्तरदाता संख्या–2 श्रीमती हेमा देवी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र का0सं0–4क, अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 इस आशय् का प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी का विवाह दिनांक 21.05.2019 को मोहन सिंह के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिनी अपने विवाह के पश्चात अपने वैवाहिक घर ग्राम–लौसरी में विपक्षीगण / अपीलार्थीगण के साथ साझी गृहस्थी में रही है। प्रार्थिनी का पति मोहन सिंह दिल्ली में नौकरी करता है। प्रार्थिनी का पति विवाह के बाद केवल दो सप्ताह तक घर में रहा और उसके बाद लम्बे समय तक दिल्ली में ही रहा। विवाह के 8–10 दिन बाद मोहन सिंह ने प्रार्थिनी से कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है, उसने अपने परिवार की वजह से उससे शादी कामकाज के लिए करवाई है, वह शादी दिल्ली में करेगा, वह उसे पसन्द नहीं है। तभी से विपक्षीगण प्रार्थिनी के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर परेशान व प्रताड़ित कर कहने लगे उसके माता–पिता ने दान–दहेन में कोई नकद रुपया नहीं दिया। मोहन प्रार्थिनी को बार–बार प्रताड़ित करते हुए कहता है कि उसके पिता ने नकली सोने की चैन दी है। मोहन सिंह के दिल्ली जाने के बाद प्रार्थिनी के ससुर कुन्दन सिंह, सास देवकी देवी, जेठ पूरन सिंह एवं जेठानी सुमन देवी ने प्रार्थिनी का यह कहते हुए उत्पीड़न करना शुरू कर दिया कि उसके पति मोहन सिंह ने उसे छोड़ दिया है, अब वह इस घर से निकल जाए तथा प्रार्थिनी के साथ गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थिनी जब अपने पति मोहन सिंह से बात करती तो वह प्रार्थिनी को गालियां देता था और कहता था कि उसके पिता दान में गाड़ी देंगे तो तभी वह

उसके घर पर रहेगी। मोहन सिंह ने प्रार्थिनी से यह भी कहा कि उसने अपने माता–पिता के दबाव में शादी की है जबकि उसने दिल्ली में ही किसी दूसरी महिला से विवाह कर लिया है। दिनांक 01.01.2022 को प्रार्थिनी के ससुर कुन्दन सिंह एवं सास देवकी देवी ने प्रार्थिनी के साथ भद्दी–भद्दी गाली–गलौच कर अपने घर से निकाल दिया और कहा कि उनके घर आने की जरूरत नहीं है। तब प्रार्थिनी को मजबूरन अपने मायके में शरण लेनी पड़ी। मोहन सिंह द्वारा प्रार्थिनी के भरण–पोषण व उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में घोर लापरवाही की गई। जब से प्रार्थिनी अपने मायके में रह रही है, उसके पति मोहन सिंह ने कोई भरण–पोषण की राशि नहीं दी है। प्रार्थिनी के पास आय का कोई साधन नहीं है, वह बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चला रही है। प्रार्थिनी का पति मोहन सिंह नौकरी करता है, जिससे उसको मु0 75,000 / – रुपये प्रतिमाह आय होती है। इसके अलावा प्रार्थिनी के ससुर के नाम ग्राम लौसरी में कृषि योग्य भूमि है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–18 के अधीन संरक्षण आदेश, धारा–19 के अधीन निवास की व्यवस्था, धारा–20 के अधीन प्रार्थिनी के जीवन यापन हेतु कम से कम रुपये 25,000 / – रुपये मासिक भरण–पोषण भत्ता विपक्षी सं0–1 मोहन सिंह से तथा धारा–22 के अधीन प्रतिकर रुपये 40,00,000 / – दिलाए जाने की प्रार्थना की गई।

3. प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थनापत्र पर विपक्षी सं0–1, 2 व 3 द्वारा आपत्ति का0सं0–24क / 1 लगायत 24क / 5 मय शपथ पत्र का0सं0–24क / 6 एवं विपक्षी संख्या–4 व 5 द्वारा आपत्ति का0सं0–25क / 1 लगायत 25क / 3 मय शपथ पत्र का0सं0–25क / 4 प्रस्तुत की गई।

4. प्रार्थिनी श्रीमती हेमा देवी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं को पी0डब्लू0–1, दिग्पाल सिंह को पी0डब्लू0–2, भूपाल सिंह को पी0डब्लू0–3, जयवीर सिंह को पी0डब्लू0–4 के रूप में परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची दस्तावेज का0सं0–8क से हिमांती के आधार कार्ड की छायाप्रति का0सं0–9क, प्रार्थिनी हेमा देवी द्वारा उपजिलाधिकारी, थराली को प्रेषित पत्र दिनांकित 17.02.2022 की छायाप्रति का0सं0–10क, रा0उ0नि0 क्षेत्र जैनबिष्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्बन प्रति

का0सं0–11क/1 लगायत 11क/2, कुन्दन सिंह के नाम दर्ज भूमि की उद्धरण खतौनी का0सं0–12क/1 लगायत 12क/8 प्रपत्र प्रस्तुत किए गए।

5. विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में मोहन सिंह को डी0डब्लू0–1, कुन्दन सिंह को डी0डब्लू0–2, राजेन्द्र सिंह को डी0डब्लू0–3 व पूरन सिंह को डी0डब्लू0–4 के रूप में परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची दस्तावेज का0सं0–24क11 से प्रार्थिनी एवं दर्शन सिंह मेहरा के मध्य व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट का0सं0–24क/12 लगायत 24क/15, पूरन सिंह द्वारा अपने मोबाइल फोन से जयवीर सिंह व दर्शन सिंह के मध्य मोबाइल कॉफ्रेंसिंग पर हुई वार्ता का लिखत व हिन्दी रूपांतरण का0सं0–24क/16 लगायत 24क/22, प्रमाणपत्र अन्तर्गत धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का0सं0–24क/23, कुन्दन सिंह द्वारा ग्राम प्रधान कौसरी को दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.09.2021 की छायाप्रति का0सं0–24क/24, कुन्दन सिंह द्वारा उपजिलाधिकारी, थराली को प्रेषित पत्र दिनांकित 05.10.2021 की छायाप्रति का0सं0–24क/25 लगायत 24क/26, मोहन सिंह के बैंक खाते का स्टेटमेंट का0सं0–24क/27 लगायत 24क/44, मोहन सिंह व हेमा देवी के मध्य व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट का0सं0–24क/45 लगायत 24क/53, प्रार्थिनी के रोजगार जॉब कार्ड की छायाप्रति का0सं0–24क/54 आदि एवं सूची दस्तावेज का0सं0–25क/5 से परिवार रजिस्टर की नकल का0सं0–25क/6, राशनकार्ड की छायाप्रति का0सं0–25क/7 आदि प्रपत्र प्रस्तुत किए गए।

6. तद्‌परान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन कर प्रश्नगत निर्णयादेश दिनांकित 07.07.2026 पारित करते हुए प्रार्थिनी श्रीमती हेवा देवी का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश पारित किया कि विपक्षीगण आदेश की दिनांक से प्रार्थिनी हेमा देवी के साथ किसी प्रकार की 'घरेलू हिंसा' प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से कारित नहीं करेंगे और न इसका कारण बनेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–19 के तहत मोहन सिंह प्रार्थिनी हेमा देवी के निवास हेतु स्वयं के घर में पृथक से, अथवा निकट स्थित किसी अन्य स्थान पर एक कमरा, किचन,

लेटरीन–बाथरूम सहित व्यवस्था करे। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रार्थिनी को वैकल्पिक वास सुविधा स्वरूप प्रतिमाह, आदेश की दिनांक से प्रत्येक माह की 07 दिनांक तक मु0 3,000/–रुपये किराये स्वरूप प्रदान करे, धारा–20 के तहत मोहन सिंह प्रर्थिनी को उसके भरण–पोषण हेतु मु0 5,000/– रुपये प्रतिमाह आदेश की दिनांक से प्रत्येक माह की 07 दिनांक तक प्रदान करे, धारा–22 के तहत मोहन सिंह, कुंदन सिंह व देवकी देवी को प्रर्थिनी को हुई मानसिक व शारीरिक क्षति हेतु प्रतिकर स्वरूप मु0 10,000–10,000/– रुपये आदेश की दिनांक से एक माह के भीतर प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दायर की गई है।

7. संक्षेप में, अपीलार्थीगण द्वारा अपील इन आधारों पर दायर की गई कि अपीलार्थी संख्या–1, 2 व 3 द्वारा सूची दस्तावेज का0सं0–24क/11 से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य को विद्वान विचारण न्यायालय ने अनदेखा कर महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की है। प्रत्युत्तदाता सं0–2 ने अपने बयानों में यह तथ्य प्रकट किया है कि उसके पति, सास व ससुर ने उसके साथ शादी के 7–8 दिन बाद से सही व्यवहार नहीं किया जबकि पी0डब्लू0–2, पी0–3 ने 06 माह के बाद प्रत्युत्तरदाता सं0–2 को परेशान करने की बात कही है। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 द्वारा दर्शन सिंह मेहरा के साथ अवैध संबंध बनाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। पी0डब्लू0–1/प्रत्युत्तरदाता सं0–2 ने स्वीकार किया है कि उसने दर्शन सिंह मेहरा का नाम बबीता देवी के नाम से सेव किया था, जो विवाद का कारण था। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 तथा पी0डब्लू0–3 ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी सं0–4 व 5 दिल्ली में नौकरी करते हैं, इसलिए वह ग्राम–लौसरी में संयुक्त परिवार में रहते ही नहीं थे तो उनके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा किए जाने का प्रश्न ही नहीं था। प्रत्युत्तदाता सं0–2 द्वारा कहा गया है कि शादी के 8–10 दिन बाद ही अपीलार्थी सं0–1 द्वारा सोने की चैन नकली बताकर, फर्नीचर में आग लगाया, दहेज में रुपया कम देने का कथन करते हुए 10,00,000/– रुपये मांगने बाबत कहा गया जबकि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहों के बयानों में कार, सोने की चैन, नगद रुपया आदि मांगे जाने का विरोधाभासी बयान दिए

गए हैं। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसका पति दिल्ली में रेस्टोरेंट चलाता है एवं वह नौकरी भी करता है, घर पर खेती व जमीन है तथा गाय, भैंस आदि भी रखी है, जिससे 2,00,000/– रुपये प्रतिमाह आमदनी होती है जो कि असंभव है। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान प्रत्युत्तरदाता सं0–2 से भिन्न है तथा उन्हें जानकारी नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व आदेश पारित करते समय मामले में प्रस्तुत साक्ष्य का सही परिशीलन न करके आक्षेपित आदेश पारित किया है जो खण्डित होने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

8. मेरे द्वारा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डी0सी0 नैनवाल व प्रत्युत्तरदाता सं0–1 राज्य सरकार की ओर से विद्वान डी0जी0सी0, फौजदारी श्री प्रकाश भण्डारी एवं प्रत्युत्तरदाता सं0–2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डी0सी0 भट्ट की बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपील पत्रावली एवं विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 व उसके साक्षियों के बयानों में महत्वपूर्ण अंतर्विरोध है, जिसका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक् परिशीलन नहीं किया गया है। अपीलार्थी सं0–4 व 5 अपीलार्थी सं0–1 के परिवार से पृथक रहते हैं इसलिए उनके द्वारा घरेलू हिंसा कारित किया जाना संभव नहीं है। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 का दर्शन सिंह मेहरा से नाजायज संबंध था, जिसका नम्बर उसके द्वारा बबीता दीदी नाम से सेव किया गया था और दर्शन सिंह मेहरा ने ही उसका जॉब कार्ड आदि बनवाया था, जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ और दबाव बनाने के लिए प्रत्युत्तरदाता सं0–2 ने मु0अ0सं0–1/22, अन्तर्गत धारा–498ए, 504, 506, 120बी भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपीलार्थीगण के विरूद्ध दर्ज कराया तथा वर्तमान वाद झूठे तथ्यों के आधार पर योजित कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के पक्ष में मु0 5,000/– रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण व मु0 3,000/– रुपये प्रतिमाह आवासन हेतु निराधार आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी

सं0–1 लगायत 3 प्रत्येक से 10,000/– रुपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश भी निराधार पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णयादेश दिनांकित 07.07.2026 निरस्त किए जाने की याचना की गई।

10. प्रत्युत्तरदाता संख्या–1 राज्य सरकार की ओर से विद्वान डी0जी0सी0, फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामला पति–पत्नी एवं उनके परिवार के बीच घरेलू हिंसा से सम्बंधित विवाद है। सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

11. वहीं दूसरी ओर प्रत्युत्तरदाता सं0–2 की ओर से खण्डन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में अपीलार्थी सं0–1 को प्रत्युत्तरदाता सं0–2 पसन्द नहीं थी, जिसका कथन उसके द्वारा विवाह के 08–10 दिन बाद ही किया गया था और कहा गया था कि वह दिल्ली में शादी करेगा। उसके व उसके परिवार वालो द्वारा प्रत्युत्तरदाता सं0–2 को दहेज आदि के लिए परेशान किया जाने लगा और घर से जाने के लिए कहा गया। लगातार उत्पीड़न कर उसे घर से निकलने के लिए मजबूर किया गया और अंततः दिनांक 01.01.2022 को अपीलार्थी सं0–2 व 3 ने प्रत्युत्तरदाता सं0–2 को गाली–गलौच कर घर से बाहर निकाल दिया, तब से वह मजबूरी में मायके में रह रही है। अपीलार्थी सं0–1 द्वारा ही विवाह विच्छेद के लिए एक वैवाहिक वाद सं0–26/2022 योजित किया गया है, जिसमें झूठे आरोप प्रत्युत्तरदाता सं0–2 पर लगाए गए हैं। उस पर अन्य व्यक्ति से संबंध होने के चारित्रिक आरोप भी तलाक का आधार बनाने के लिए ही लगाया गया है। उसके मायके में रहने के दौरान भी धमकियां देकर उसे प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के पक्ष में धनीय, आवासन एवं प्रतिकर हेतु पारित आदेश अपीलार्थी सं0–1 लगायत 3 की आर्थिक हैसियत के अनुरूप युक्तियुक्ततः किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील निरस्त कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांकित 07.07.2026 पुष्ट किए जाने की याचना की गई।

12. यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 अपीलार्थी सं0–1 की विधितः विवाहित पत्नी है, इस कारण वह पत्नी होने के नाते अपीलार्थी

सं0–1 के साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–2(च) के अन्तर्गत घरेलू नातेदारी में आती है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवाह उपरान्त उभयपक्ष पति–पत्नी के रूप में अपीलार्थी सं0–1 के घर ग्राम लौसारी में एक साथ रहे हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–3 घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है। घरेलू हिंसा कारित किए जाने के संबंध में प्रत्युत्तरदाता सं0–2 द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि विवाह के 8–10 दिन बाद ही अपीलार्थी सं0–1 द्वारा उससे कहा गया कि वह प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के साथ नहीं रहना चाहता, दहेज के संबंध में ताने दिए और सोने की चैन को नकली बताया, उसके नौकरी पर चले जाने के बाद अपीलार्थी सं0–2 लगायत 5 ने उसके साथ उत्पीड़न किया और घर से निकलने के लिए कहा और बताया कि अपीलार्थी सं0–1 ने दिल्ली में दूसरी शादी कर ली है। उसका यह भी कहना है कि अपीलार्थी सं0–2 व 3 ने उसे घ ार से निकाल दिया। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य में पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–4 ने भी किया है। उक्त साक्षियों के अनुसार वे विवाह के लगभग 06 माह बाद प्रत्युत्तरदाता सं0–2 का हालचाल लेने गए थे, तब उन्हें उसके साथ उत्पीड़न आदि का ज्ञान हुआ। इस प्रकार साक्षियों के बयानों में ऐसा कोई अंतर्विरोध नहीं है, जिसका कथन अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 लगभग दो वर्ष तक अपीलार्थीगण के घर पर रही थी, जिसके बाद से वह अपन` मायके में रह रही है। प्रतिपरीक्षा में प्रत्युत्तरदाता सं0–2 / पी0डब्लू0–1 ने यह स्वीकार किया है कि उसके फोन में दर्शन मेहरा का नम्बर सेव था, इसे बबीता दीदी के नाम से किसने सेव किया, उसको जानकारी नहीं है। उसने बबीता दीदी को कॉल मैसेज नहीं किया। यह किसके द्वारा किया गया उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त नम्बर दर्शन सिंह मेहरा का ही है। साक्षी ने 26.8.2021 को अपने भाई जयवीर सिंह का आना व ससुरालियों से बात–चीत करना स्वीकार किया है, उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसका जॉब कार्ड दर्शन सिंह मेहरा के सहयोग से बना था, जिसे वह रिश्तेदार / रिश्ते में चाचा होने के नाते जानती है।

सत्र न्यायाधीश
(शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग),
जिला–चमोली।

13. अपीलार्थी सं0–1/डी0डब्लू0–1 का कथन है कि नम्बर, 2019 से उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा और अक्टूबर, 2020 में उसे उसकी पत्नी के फोन में एक नम्बर से भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज मिले, जिसे उसकी पत्नी द्वारा बबीता के नाम से सेव किया गया था। समझाने पर वह इधर–उधर की बाते करने लगी और खुले तौर पर तलाक के लिए कहने लगी। उसे मालूम हुआ कि उक्त नम्बर दर्शन सिंह मेहरा का है, जिसके साथ उसकी पत्नी बाजार में घूमती थी। उसकी पत्नी द्वारा दर्शन सिंह के साथ रहना कहा गया। अगस्त, 2021 में उसकी पत्नी अपने भाई जयवीर सिंह को लेकर आयी, जिन्होंने दर्शन सिंह से बात की तो दर्शन सिंह द्वारा उसकी पत्नी व स्वयं के संबंधों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग में स्वीकारा गया और अपनी गलती मानकर माफी मांगी गई। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 द्वारा धमकी दिए जाने पर उसके पिता ने एक प्रार्थनापत्र उपजिलाधिकारी, थराली को प्रेषित किया। दिनांक 01.01.2022 को उसकी पत्नी स्वयं बिना कुछ बताए अपने मायके चली गई और विभिन्न प्रकार के मुकदमे योजित कर दिए। उसकी ओर से परीक्षित अन्य साक्षीगण डी0डब्लू0–2 व डी0डब्लू0–4 ने डी0डब्लू0–1 के समरूप कथन किए हैं। जबकि डी0डब्लू0–3 द्वारा कथन किया गया है कि उसे अपीलार्थी सं0–2 द्वारा अपनी पुत्र वधू से खतरा होने बाबत एक शिकायत पत्र दिया गया था। अपीलार्थीगण की ओर से प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के फोन से बबीता दीदी, जिसे दर्शन सिंह का फोन होना कथित किया गया है, की चैटिंग की प्रति प्रस्तुत की गई है, किन्तु इसके संबंध में धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए यह साक्ष्य में पठनीय नहीं है। वीडियो कॉफ्रेंसिंग में हुई बातचीत की लिखित व हिन्दी रूपान्तरण के संबंध में प्रमाणपत्र पूरन सिंह द्वारा धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया है। इसमें बातचीत पूरन सिंह व दर्शन सिंह के बीच होनी कथित की गई है और बाद में जयवीर सिंह व पूरन सिंह के बीच भी बात हुई है। उक्त ट्रांसक्रिप्ट को मोबाइल फोन में हुई वीडियो कॉफ्रेंसिंग की बातचीत से मिलान नहीं कराया गया है और ना ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ही प्राप्त की गई है, जिससे यह स्पष्ट हो कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग में बातचीत पूरन सिंह व दर्शन सिंह के बीच हो रही है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य भी पठनीय नहीं है। ग्राम प्रधान व

उपजिलाधिकारी को दिए गए पत्र फोटोप्रति हैं और इनमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 ही तलाक देने की धमकी देती थी और अपीलार्थी सं0–1 को अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं थी। उल्लेखनीय है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 द्वारा तलाक चाहने के लिए कोई वाद नहीं किया गया बल्कि तलाक के लिए वाद अपीलार्थी सं0–1 द्वारा ही किया गया है।

14. उभयपक्ष द्वारा दी गई साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि रिश्तेदार होने के नाते प्रत्युत्तरदाता सं0–2 ने दर्शन सिंह मेहरा का नम्बर अपने मोबाइल में सेव किया था, उसके द्वारा बबीता नाम से नम्बर सेव किए जाने से इंकार किया गया है और यह भी कहा गया है कि बबीता के नाम से दर्शन सिंह मेहरा का फोन नम्बर सेव कर किसके द्वारा मैसेज किया गया, इसकी उसे जानकारी नहीं है। डी0डब्लू0–1 का कहना है कि माह नवम्बर, 2019 में ही उसे लगा कि उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति बदल गया है जबकि उसके द्वारा अक्टूबर, 2020 में प्रथम बार बबीता को आपत्तिजनक मैसेज भेजे जाने व उक्त नम्बर दर्शन सिंह का होने का पता चलने का कथन किया गया है। फोन चेक करने पर मैसेज देखने के संबंध में डी0डब्लू0–1 द्वारा किया गया कथन स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है और उसका यह कथन कि नम्बर, 2019 में ही उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति बदल गया था, भी स्वाभाविक नहीं है। डी0डब्लू0–1 ने अपनी पत्नी द्वारा तलाक लेने का कथन करना कहा गया है जबकि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 द्वारा तलाक के लिए कोई वाद नहीं लाया गया। यदि वह दर्शन सिंह से प्रेम करती थी और उसने यह कहा था कि वह दर्शन सिंह के साथ रहना चाहती है और अपीलार्थी सं0–1 से तलाक चाहती है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा तलाक हेतु वाद लाना चाहिए था जबकि तलाक के लिए वाद अपीलार्थी सं0–1 के द्वारा लाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 का दर्शन सिंह से अवैध संबंध होने का कथन अपीलार्थी सं0–1 द्वारा तलाक का आधार बनाने के लिए किया गया है और इसी के अनुक्रम में ग्राम प्रधान व उपजिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसमें यह कथित किया गया कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2, दर्शन सिंह से संबंध होने के कारण अपीलार्थी सं0–1 को पति होना स्वीकार करना नहीं चाहती और तलाक हेतु दबाव बनाने के लिए अपीलार्थीगण को धमकी दे रही थी। प्रत्युत्तरदाता सं0–2

के मायके जाने के बाद उसको कभी न लेने जाने के तथ्य को डी0डब्लू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी सं0–1 स्वयं प्रत्युत्तरदाता सं0–2 से मुक्ति चाहता था। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 द्वारा अपने प्रार्थनापत्र व साक्ष्य में अपीलार्थीगण पर जो आरोप लगाए गए हैं, उससे डी0डब्लू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर इंकार किया है, किन्तु वर्तमान मामले में साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि विवाह उपरान्त अपीलार्थी सं0–1 व उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उससे विवाह विच्छेद का आधार बनाने के लिए उसके चरित्र व आचरण पर लांछन लगाए गए। इस प्रकार वर्तमान मामले में अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रकट होता है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पुष्ट किए जाने योग्य है।

15. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–2(क) के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आती है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के द्वारा कोई आय की जाती है। अपीलार्थी सं0–1 की आय के संबंध में उभयपक्ष द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दैनिक मजदूर के रूप में आय 18,000/– रुपये प्रतिमाह आंकलित की है, जो युक्तियुक्त है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत संरक्षण आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण को यह आदेशित किया है कि वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित न करें, जो पुष्ट किए जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–2, अपीलार्थीगण का घर छोड़ने के बाद अपने मायके में रह रही है जो उसके लिए सुरक्षित स्थान है। उभयपक्ष के कथनों व लगाए गए आरोपों के दृष्टिगत प्रत्युत्तरदाता सं0–2 का अपीलार्थी सं0–1 के घर में दिए गए स्थान में रहना सुरक्षित व उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। प्रत्युत्तरदाता सं0–2 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि वह अपना मायका

छोड़कर किसी अन्य किराये के स्थान पर रहना चाहती है जबकि मायके में रहते हुए उसके द्वारा किराया अदायगी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार धारा–19 के अन्तर्गत किराया हेतु प्रतिमाह 3,000 / – रुपये दिलाए जाने का कोई औचित्य दर्शित नहीं होता है। अपीलार्थी सं0–1 की आय 18,000 / – रुपये मासिक होने के दृष्टिगत प्रत्युत्तरदाता सं0–2 के भरण–पोषण व अन्य खर्चे हेतु 5,000 / – रुपये अदायगी का विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश युक्तियुक्त दर्शित होता है, जिसे भरण–पोषण के लिए पारित अन्य आदेश की धनराशि में समायोजित किए जाने योग्य युक्तियुक्ततः अवधारित किया गया है। धारा–22 के अन्तर्गत मानसिक व शारीरिक क्षति हेतु प्रतिकर स्वरूप अपीलार्थी सं0–1 लगायत 3 प्रत्येक को 10,000 / – रुपये अदायगी का आदेश पारित किया गया है, किन्तु अपीलार्थी सं0–4 व 5 के विरूद्ध उक्त आदेश का विस्तार नहीं किया गया है। यह सही है कि घरेलू हिंसा कारित करने में अपीलार्थी सं0–1 के अलावा अपीलार्थी सं0–2 व 3 जो कि अपीलार्थी सं0–1 के माता–पिता हैं, का भी योगदान रहा है, किन्तु इस संबंध में मुख्य उत्तरदायित्व अपीलार्थी सं0–1 का है। अपीलार्थी सं0–2 व 3 प्रत्येक से मानसिक व शारीरिक क्षति हेतु प्रतिकर की धनराशि 10,000 / – रुपये के स्थान पर 2,500 / – रुपये किया जाना वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उनकी हैसियत के दृष्टिगत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रस्तुत फौजदारी अपील निस्तारित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

16. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण फौजवादी वाद संख्या–58 / 2023, हेमा बनाम मोहन सिंह, अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 07.07. 2026 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा धारा–22 के अन्तर्गत अपीलार्थी सं0–2 व 3 प्रत्येक के विरूद्ध पारित मानसिक व शारीरिक क्षति हेतु प्रतिकर के आदेश की धनराशि

10,000/– रुपये के स्थान पर 2,500/– रुपये की जाती है। उक्त संशोधन के अतिरिक्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश यथावत् रहेगा। उपरोक्त संशोधन के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत निर्णयादेश वर्तमान अपील में पुष्ट किया जाता है। तद्नुसार वर्तमान अपील निस्तारित की जाती है।

18. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति सहित, विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली अविलम्ब वापस प्रेषित करे।

19. अपील पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 22.08.2026

(बिन्ध्याचल सिंह)
सत्र न्यायाधीश
(शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग),
जिला–चमोली।

20. यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक : 22.08.2026

(बिन्ध्याचल सिंह)
सत्र न्यायाधीश
(शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग),
जिला–चमोली।